

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय : डा० मनोज कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी का दिनांक-07.09.2023 से 18.03.2024 तक का अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1530(2), दिनांक-18.11.2021 द्वारा डा० मनोज कुमार को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मुख्य) के पद पर अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी में नियुक्ति-सह पदस्थापन किया गया, जिसके अनुपालन में डा० मनोज कुमार द्वारा दिनांक-14.12.2021 को योगदान कर उसी दिन पी०जी० बाण्ड (सीनियर रेजिडेंट) पूर्ण करने हेतु अधिसूचना के कंडिका-15 के आलोक में सिविल सर्जन, सीतामढ़ी के आदेश ज्ञापांक-3915, दिनांक-14.12.2021 के द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा के लिए विरमित हो गये। टेन्चोर समाप्ति के उपरान्त दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय के ज्ञापांक-4831, दिनांक-05.09.2023 द्वारा दिनांक-06.09.2023 के प्रभाव से विरमित किया गया। जिसके उपरान्त डा० कुमार द्वारा दिनांक 08.09.2023 को स्वास्थ्य विभाग में योगदान दिया गया तथा डा० कुमार दिनांक-08.09.2023 से 15.03.2024 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहें। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं०-356(2), दिनांक-15.03.2024 के द्वारा डा० कुमार का पदस्थापन अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी में किया गया। उक्त अधिसूचित संस्थान में डा० कुमार के द्वारा दिनांक-19.03.2024 के पूर्वाह्न में योगदान कर प्रभार ग्रहण किया गया।

वर्णित स्थिति में डा० मनोज कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी का दिनांक-07.09.2023 से 18.03.2024 तक की अवधि को निम्न रूप में विनियमित किया जाता है :-

i.	दिनांक-07.09.2023	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
ii.	दिनांक-08.09.2023 से 17.09.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
iii.	दिनांक-18.09.2023 से 24.09.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
iv.	दिनांक-25.09.2023 से 05.10.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
v.	दिनांक-06.10.2023 से 15.10.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
vi.	दिनांक-16.10.2023 से 14.12.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।

vii.	दिनांक-15.12.2023 से 21.01.2024 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
viii.	दिनांक-22.01.2024 से 29.02.2024 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
ix.	दिनांक-01.03.2024 से 18.03.2024 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-105/2025-1566 [25] पटना, दिनांक 14/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/डा० मनोज कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

MPamvi 13/7/24
सरकार के उप सचिव।

६